

8/12 आज मह पत्रावली राजस्व लोड अदालत  
 कॅम्प अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन  
 किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट (हसीलदार  
 थानागाजी (पेंरोडार सरकार) के जवाब से स्पष्ट  
 है कि विवादित आरजी मिशल बन्दोवस्त संवत्  
 2028 के अनुसार गै. मु. शा. सिवाय-चु. दर्. रिपोर्ट  
 है एवं विवादित आरजी का हल ख. नं. 2369 रुबा  
 1.13 हे० डि. गै. मु. शा. सिवाय-चु. दर्. रिपोर्ट है।  
 ऐसी स्थिति में गै. मु. शा. प्रि. बन्धित क्षेत्र होने  
 के कारण वारी को खातेदार घोषित नहीं किया जा  
 सकता है।

अतः; वारा वारी जाबत <sup>हल</sup> आ. ख. नं. 2369  
 रुबा 1.13 हे० साबित ख. नं. 2266 रुबा पबीघा 7  
 बिस्वा बाँड ग्रा. आगर सिद्ध नहीं होने के कारण खाति  
 किया जाता है। प्रि. न. उलल शु. आर. दो. डर नम्बर  
 से क. की जा. डर बाद त. पी. ल. दा. खिल दा. फ. र. ड.